सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 107 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :–02.05.2025

GCMS ID-2025 / 157

बउनवान

1. अजीतसिंह मीणा आयु 30 वर्ष पिता नन्दलाल मीणा जाति मीणा निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 28 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि ख.सं. 2819, 2820, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2836, 2837, 2838 कुल किता 11 कुल रकबा 2.7032 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विरिथत है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था मे घर पर लोकेश व अजीतसिंह के नाम से पुकारते थे, इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये बिना राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का घरेलु नाम लोकेश पिता नन्दा के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्राथी का सही नाम अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल है, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी का नाम लोकेश पिता नन्दा दर्ज कर दिये जाने की वजह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल है और पहचान के सभी दस्तावेजात मे भी अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर लोकेश पिता नन्दा के स्थान पर अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 10. 11.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपना नाम लोकेश पिता नन्दा के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयायांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के अवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि आता संख्या नया 99 पुराना 637 की भूमि सा.सं. 2819, 2820, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2836, 2837, 2838 कुल किता 11 कुल रकबा 2.7032 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लोकेश पिता नन्दा के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर अजीतसिंह मीणा पिता नन्दलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :— राजस्व / 25 / 3260 दिनांक :—03. 12.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम बडानयागांव के खाता संख्या 99 में प्रार्थी का नाम लोकेश पुत्र नन्दा सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा—ए—आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों / सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज लोकेश पुत्र नन्दा व अजीतसिंह पुत्र नन्दलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज लोकेश पुत्र नन्दा के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र नन्दलाल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम अजीतसिंह पुत्र नन्दलाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग कार्ड, बैक खाता डायरी, राशन कार्ड, माध्यमिक परीक्षा 2011 की अंकतालिका पेश किए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम अजीतसिंह पुत्र नन्दलाल है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बडानयागांव प0मं0 बडानयागांव के खाता संख्या 99 में दर्ज प्रार्थी का नाम लोकेश पुत्र नन्दा के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र नन्दलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–28.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446